



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 19.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना खरेला पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के आदेश तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के निर्देशन में **SHO** खरेला श्री विजय सिंह द्वारा गठित टीम ने अभियान में शामिल होकर आज दिनांक 19.05.2021 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०स० 42/21 धारा 354(क)504/506 भा०द०वि० व 08 पाक्सो एक्ट से सम्बंधित वांछित अभियुक्त कल्लू पुत्र पंचम सिंह गौतम नि० ग्राम बरांय थाना खरेला जनपद उम्र करीब 35 वर्ष को मरही माता के मंदिर के पास बहद ग्राम पहरेथा थाना खरेला जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को सम्बन्धित मां० न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस बल...

1. उ०नि० जाकिर अली
2. का० हरेन्द्र कुमार

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण...

कल्लू पुत्र पंचम सिंह गौतम उम्र करीब 35 वर्ष नि० ग्राम बरांय थाना खरेला जनपद महोबा ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 19.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पैदल गस्त करके शहर में कराया जा रहा लॉकडाउन का पालन

आज दिनांक 19.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में वैश्विक महामारी **कोविड-19** के प्रसार को रोकने हेतु जनपद में लगाये गये लॉकडाउन का पालन कराये जाने के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय मय कोतवाली महोबा पुलिस बल के साथ शहर में पैदल गस्त करके लोगो से लॉकडाउन व कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई एवं मास्क का प्रयोग करने व हाथों को बार-बार धोने व भीड़-भाड वाली जगहो पर न जाने को कहा गया। जनपद के समस्त थानों द्वारा क्षेत्र में पैदल गस्त करके लोगो को उक्त नियमों को पालन करने की अपील की गई। यातायात नियमो के उल्लंघन पर **10 ई-चालान व कोविड-19 नियमो के उल्लंघन पर 35 व्यक्तियों से 11450/-रु0 शुल्क वसूल किया गया।**

